[2020] 4 उम. नि. प. 130

परमिन्दर कौर उर्फ **पी. पी. कौर** उर्फ **सोनी**

बनाम

पंजाब राज्य

[2011 की दांडिक अपील सं. 283]

28 जुलाई, 2020

न्यायमूर्ति एन. वी. रमना, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 366क और 506 – अप्राप्तवय लड़की का उपापन और आपराधिक अभित्रास – दोषसिद्धि – संधार्यता – अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा अपने किराएदार युवक के साथ अभियोक्त्री को अयुक्त संबंध स्थापित करने के लिए अभिकथित रूप से उत्प्रेरित किया जाना – अपीलार्थी द्वारा अपने मकान में कोई किराएदार न होने का दावा किया जाना – अपीलार्थी द्वारा एक पर-पक्षकार जिसके विरुद्ध उसने कुछ समय पूर्व बलात्संग के अभिकथन किए थे, के उकसावे पर उसे मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया जाना – अभियोजन पक्ष किराएदार युवक का पता लगाने और स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा कराने में असफल रहना – जहां निचले न्यायालयों द्वारा मामले के तथ्यात्मक पहलुओं, अभियोजन साक्षियों के कथनों में स्पष्ट विरोधाभासों पर विचार किए बिना जल्दबाजी में तथा अनेक पहलुओं की उपेक्षा करके सामान्य बातों के आधार पर दोषसिद्धि की गई हो, उसे संधार्य रखना न्यायोचित नहीं होगा और अभियुक्त को दोषमुक्त करना उचित होगा ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 154 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 366क और 506] – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट – अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा अपने किराएदार युवक के साथ अभियोक्त्री को अयुक्त संबंध स्थापित करने के लिए अभिकथित रूप से उत्प्रेरित किया जाना – अभियोक्त्री के पिता का घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा किया जाना – अपीलार्थी द्वारा बाद में अभियोक्त्री को अभिकथित रूप से धमकी देते हुए आपराधिक रूप से अभित्रस्त

किया जाना – घटना की रिपोर्ट पांच दिन के विलंब के पश्चात् दर्ज कराया जाना – विलंब के लिए युक्तियुक्त स्पष्टीकरण न दिया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी के कथन पर सरसरी तौर पर विचार किया जाना – जहां अभियोजन पक्ष अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध अपने भार को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा हो, वहां अभियुक्त को दोषमुक्त करना न्यायोचित होगा ।

इस अपील के तथ्यों के अनुसार, अभियोजन पक्ष का वृत्तांत यह था कि अपीलार्थी एक एकल महिला है, जो अपने बालक, माता और अपने एक किराएदार के रूप में एक जवान लड़के के साथ अभियोक्त्री के मकान के आस-पड़ोस में रह रही थी । पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से लगभग एक सप्ताह पूर्व, अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को अपने मकान पर बुलाया और अपने किराएदार धनी लड़के के साथ अयुक्त मैथुन में आलिप्त होने के लिए उसे विलुब्ध करने की कोशिश की । अपीलार्थी ने अभिकथित रूप से तारीख 19 फरवरी, 1996 को लगभग 6.00 बजे पूर्वाह्न में उसके मकान पर आई अभियोक्त्री को किराएदार लड़के के कमरे में धकेल दिया और कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी । अभियोक्त्री की चीखने की आवाज सुनकर पांच मिनट के पश्चात् जब दरवाजा खोला गया तो उसका पिता अभि. सा. 2 और दो अन्य व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़े थे । लड़का तेजी से कमरे से भागा और सफलतापूर्वक बच कर निकल गया । अभियोक्त्री के कमरे से बाहर आने पर उसके पिता ने साथ खड़ी अपीलार्थी से विरोध जताया और अपनी नाराजगी व्यक्त की । तारीख 24 फरवरी, 1996 को अपीलार्थी ने अपने मकान के बाहर अभियोक्त्री को पकड़ लिया और धमकी दी कि यदि मामले के बारे में किसी व्यक्ति को सूचित किया गया तो उसके भाई को जान से मार दिया जाएगा । अभियोक्त्री अपीलार्थी के शिकंजे से बच निकली और इस उदण्डता से चिंतित होकर इन दोनों घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए अपने पिता के साथ पुलिस थाने गई और एक शिकायत दर्ज कराई । विचारण के दौरान अपीलार्थी ने सभी अभिकथनों से इनकार किया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में एक आनुकल्पिक बयान दिया और यह दावा किया कि उसके घर में कोई

किराएदार नहीं था और शिकायत भोला सिंह नामक व्यक्ति के उकसावे पर बदला लेने के लिए की गई है, जिसके विरुद्ध उसने कुछ माह पहले बलात्संग के अभिकथन किए थे । विचारण न्यायालय द्वारा इस आनुकल्पिक बयान को सरसरी तौर पर नामंजूर कर दिया गया । विचारण न्यायालय ने पुरुष किराएदार के हुलिए और पूर्ववृत्त और साक्षियों तथा पुलिस द्वारा लड़के को पकड़ने या ढूढ़ने में असमर्थता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर अभियोक्त्री और उसके पिता के परिसाक्ष्यों में आए विरोधाभासों का उत्तर देने के बजाय यह उल्लेख किया कि अभियोक्त्री और उसके पिता को अविश्वसनीय मानने का कोई कारण नहीं है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए पांच दिन के विलंब की इसलिए अनदेखी कर दी गई थी कि अभियोक्त्री और उसके परिवार की प्रतिष्ठा खराब होने के भय से यह विलंब स्वाभाविक था तथा यह बात मामले के लिए कम गंभीर है । इसी प्रकार, अन्य दो स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा न कराने की बात की इसलिए अनदेखी कर दी गई थी क्योंकि ऐसे मामलों में जहां बलात्संग या हमला न हुआ हो वहां दर्शकों की अरुचि होना सामान्य बात है । तद्नुसार, विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को अपने पुरुष किराएदार के साथ अयुक्त मैथुन करने के लिए जानबूझकर उत्प्रेरित किया था और उसने अभियोक्त्री के परिवार के सदस्यों की धमकी देकर उसे आपराधिक रूप से अभित्रस्त भी किया था । अभियोक्त्री पर कोई हमला या उसके साथ बलात्संग न करने की बात पर विचार करते हुए, अपीलार्थी को धारा 366क तथा धारा 506 के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । अपीलार्थी ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय में समावेदन किया और उसने भी दोषसिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया । उच्च न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए यह मत व्यक्त किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन सोचा-समझा प्रतीत होता है और पक्षकारों के बीच दुश्मनी साबित करने के लिए किसी साक्ष्य के अभाव में यह असंभव था कि कोई एक स्त्री को इस जैसे अपराध में मिथ्या रूप से फंसाएगा । अपीलार्थी द्वारा निचले न्यायालयों के निर्णयों से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपीलार्थी की दोषिता को सिद्ध करने के लिए या तो अन्वेषण अभिकरण या अभियोजक की ओर से गंभीर प्रयास की कमी मूल अभिलेख से स्पष्ट होती है । अभियोक्त्री और उसके पिता द्वारा शिकायत दर्ज करने की पहल को छोड़कर पुलिस द्वारा कोई सारवान् साक्ष्य एकत्रित नहीं किया गया था । इस बात के बावजूद कि पुरुष किराएदार अभिकथित रूप से कई माह से अपीलार्थी के पास रह रहा था, पुलिस उसके पूर्ववृत्त या अवस्थान की बात तो छोड़िए, उसके नाम तक का पता लगाने में असमर्थ रही । इसके अतिरिक्त, पहली बात तो यह कि प्रति. सा. 1 के साक्ष्य से उस लड़के के विद्यमान होने की बात पर प्रभावपूर्ण संदेह होता है । यह बात इस तथ्य से और अधिक पुष्ट हो जाती है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने लड़के की आयु, पहनावे और उसके ठोर-ठिकाने के बारे में भिन्न-भिन्न कथन किए थे यदि लड़का वास्तव में किराएदार था और महीनों तक वहां रहा था, तो यह बात अत्यंत संदेहात्मक है कि उसका पता नहीं लगाया जा सका था । अभि. सा. 3 द्वारा तैयार किए गए स्थल नक्शे में भी स्पष्ट चूक की गई है । भान सिंह के मकान की अवस्थिति और जहां अपीलार्थी ने अभिकथित रूप से तारीख 24 फरवरी, 1996 को अभियोक्त्री को धमकी दी थी, वह स्थान चिह्नत तक नहीं हैं । जिन पत्रों का अभियोक्त्री ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया था और वह पुलिस शिकायत जो अपीलार्थी ने उससे लिखवाई थी, विचारण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए थे । ये घटना से पूर्व अभियुक्त, अभियोक्त्री और पुरुष किराएदार के बीच संबंध पर प्रकाश डाल सकते थे । अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह अपने कब्जे में के सर्वोत्तम साक्ष्य को पेश करे और ऐसा करने में असफल रहने पर एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना चाहिए । अभियोजन पक्ष के वृत्तांत में खामी को देखते हुए, भान सिंह और करनैल सिंह की परीक्षा न कराना भी एक सुस्पष्ट चूक है । यह प्रतीत होता है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्यों में आए विराधाभासों का निराकरण करने के लिए उनकी परीक्षा कराने का कोई गंभीर प्रयत्न नहीं किया गया था । तात्विक स्वतंत्र साक्षियों की ऐसी परीक्षा न कराने से अभियोजन के पक्षकथन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । (पैरा 13, 14 और 15)

विचारण न्यायालय ने प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से उजागर किए गए विराधाभासों की सरसरी तौर पर इस आधार पर अनदेखी कर दी थी कि ऐसे विराधाभासों का कोई तात्विक सरोकार नहीं है और अभियोक्त्री पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । उच्च न्यायालय ने भी यह राय व्यक्त की कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने एक-दूसरे की पूर्ण रूप से संपुष्टि की है और उनके परिसाक्ष्य त्रुटिहीन हैं । इस न्यायालय की सुविचारित राय में, ये कारण न केवल अभिलेख के प्रतिकूल हैं अपितु दांडिक विचारणों में अधिरोपित अनुज्ञेय विपर्यस्त सबूत के भार के भी प्रतिकूल हैं । इन दोनों मुख्य साक्षियों के परिसाक्ष्यों के बीच अनेक स्पष्ट विरोधाभास हैं जिन्हें यह न्यायालय अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक पाता है । पहली बात, अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि जब बाहर से दरवाजा खोला गया था, तब बाहर केवल उसका पिता (अभि. सा. 2) और भान सिंह मौजूद थे । तथापि, इस बात का खंडन उसके द्वारा पुलिस शिकायत में दी गई सूचना और उसके पिता (अभि. सा. 2) के परिसाक्ष्य से होता है जिसने यह कथन किया था कि इसके अतिरिक्त एक तीसरा व्यक्ति करनैल सिंह भी वहां मौजूद था । दूसरी बात, अभियोक्त्री द्वारा पुरुष किराएदार का जो हुलिया बताया गया था वह उसके पिता द्वारा दिए गए विवरण से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न था । अभि. सा. 1 ने उसकी आयु लगभग 26 वर्ष आक्कलित की थी और वह पेंट-कमीज पहने हुए था, जबकि अभि. सा. 2 का विश्वास था कि लड़के की आयु 18-19 वर्ष थी और एक बनियान, अंडरवियर और मैली-सी कमीज पहने हुए था । तीसरी बात, इस अज्ञात नाम के लड़के के पूर्ववृत्त के बारे में अभियोक्त्री ने यह कथन किया था कि वह अपीलार्थी के साथ एक वर्ष से रह रहा था, जबकि उसके पिता के अनुसार वह केवल 2-3 माह से रह रहा था और यह अवधि तात्विक रूप से कम थी । चौथी बात, अभियोक्त्री ने यह दावा किया था कि जब वह किराएदार बचकर कमरे से भाग रहा था तो उसके पिता और भान सिंह ने उसे पकड़ने का प्रयत्न किया था किंतु असफल रह थे, जबकि अभि. सा. 2 ने स्वयं यह कथन किया था कि वह असमंजस में था कि भागे या शोर मचाए । पांचवी और सर्वाधिक

महत्वपूर्ण बात, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित करने के प्रश्न पर अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 5 सभी के परिसाक्ष्य सुस्पष्ट रूप से भिन्न हैं । अभि. सा. 1 ने यह दावा किया था कि अभि. सा. 5 द्वारा शिकायत तब लेखबद्ध की गई थी जब वह "पत्थर" पर बैठा हुआ था, जबकि अभि. सा. 2 का यह दावा था कि अभि. सा. 5 द्वारा शिकायत दो अन्य पुलिस पदधारियों की मौजूदगी में तब लेखबद्ध की गई थी जब वह बस स्टैंड की प्रतीक्षालय में "सीमेंट के बेंच" पर बैठा हुआ था । अति दिलचस्प बात यह है कि अभि. सा. 5 ने यह दावा करते हुए पूर्ण रूप से एक तीसरा वृत्तांत दिया कि वह पांच अन्य पुलिस पदधारियों के साथ बस स्टैंड पर मौजूद था और कथन अभि. सा. 5 द्वारा नहीं अपितु एक अन्य सहायक उप निरीक्षक द्वारा लिखा गया था जिसने, जब वह खड़ा था, कागजों को जीप के बोनट पर रखा था । इन विसंगतियों, जिनसे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए घटनाओं के वृत्तांत पर एक गंभीर संदेह पैदा होता है, के अतिरिक्त अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के बयान सरसरी हैं और ब्योरेवार नहीं हैं । जब लड़की कमरे के अंदर बंद थी तब उन निणार्यक पांच मिनटों में क्या घटित हुआ था या पुरुष किराएदार ने कैसे प्रतिक्रिया की थी, इनके सहित वृत्तांत की महत्वपूर्ण कड़ियां गायब हैं । इसी प्रकार, कहानी की अन्य कड़ियां पूरी तरह से विसंगत हैं और एक-दूसरे के अनुरूप नहीं हैं । अभि. सा. 2 ने घटना के प्रारम्भिक भाग के दौरान घर पर न होने और इसके बजाय भान सिंह के मकान के बाहर होने की बात स्वीकार की थी, जो अभियोक्त्री के कथन के अनुसार अपराध-स्थल से 10 मिनट की दूरी पर था । इस प्रकार, यह असंभाव्य है कि अभि. सा. 2 ने इतनी दूर से अभियोक्त्री की चीख-पुकार सुनी होगी या पांच मिनट से कम समय में, जैसा की अभि. सा. द्वारा दावा किया गया था, इतनी पर्याप्त दूरी तय की होगी । इस प्रकार, अभियोजन के वृत्तांत में पारस्परिक विरोधाभास हैं । (पैरा 17, 18, 19 और 20)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन अभियोजन पक्ष द्वारा अपने साक्ष्य को पूरा करने और अपने सभी साक्षियों की परीक्षा किए जाने के पश्चात् अभियुक्त को धारा 313(1)(ख) के द्वारा स्पष्टीकरण देने का

अवसर दिया जाता है । अभियुक्त द्वारा दिए गए घटनाओं के किसी आनुकल्पिक वृत्तांत या निर्वचन का विचारण न्यायालय द्वारा धारा 314(4) की आज्ञा का अनुपालन करते हुए अवश्य ही सावधानीपूर्वक विश्लेषण और विचार किया जाना चाहिए । ऐसा अवसर न्याय की ईप्सा करने और स्वयं की प्रतिरक्षा करने का अभियुक्त का एक मूल्यवान अधिकार है । उचित रूप से अपने मस्तिष्क का प्रयोग करने और प्रतिरक्षा पर विचार करने में विचारण न्यायालय की असफलता से स्वयं दोषसिद्धि जोखिम में पड़ सकती है । प्रस्तुत मामले में, अपीलार्थी द्वारा दिए गए आनुकल्पिक वृत्तांत को हल्के में अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । उसकी स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत की गई दो भाग में पहली प्रतिरक्षा यह थी कि कोई पुरुष किराएदार था ही नहीं और उसके बालक और माता के सिवाए कोई उसके साथ नहीं रहता था और दूसरी यह कि उसे भोला सिंह नामक व्यक्ति, जिसके साथ अभियोक्त्री का पिता काम करता था, के विरुद्ध एक बलात्संग की शिकायत फाइल करने के लिए प्रतिशोध के रूप में मिथ्या रूप से फंसाया जा रहा था । यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा वर्तमान घटना से लगभग सात माह पूर्व भोला सिंह के विरुद्ध वास्तव में बलात्संग की एक शिकायत की गई थी । उसने पुलिस के पास बलात्संग की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में न केवल कठिनाई झेलनी पड़ी थी, अपितु इस तृतीय पक्षकार के विरुद्ध मामले में अभियोग चलाने के लिए उसे एक प्राइवेट शिकायत फाइल करने का भी कष्ट उठाना पड़ा था । वास्तव में, इन कार्यवाहियों का प्रभाव अपीलार्थी की प्रतिरक्षा के अनुरूप था क्योंकि उस बलात्संग के विचारण में विचारण न्यायालय ने उसके चरित्र के विरुद्ध (उसे बालकों का दुर्व्यापार करने वाली कहते हुए) एक घृणित मताभिव्यक्ति की थी । अंतिमतः, प्रति. सा. 1, जो पक्षकारों के आस-पड़ोस में रहता था, अपीलार्थी के इस दावे का समर्थन किया था कि उसके घर में कोई पुरुष किराएदार नहीं था और भोला सिंह तथा अभियोक्त्री के पिता के बीच पर्याप्त रूप से युक्तियुक्त संबंध स्वेच्छा से यह कहते हुए सृजित किया था कि अभि. सा. 2 भोला सिंह के परिसर में रह रहा था । प्रति. सा. 1 द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान की गई मात्र इस स्वीकारोक्ति का अवलंब लेने से कि अभि. सा. 2 एक सरकारी कर्मचारी था, न तो मिथ्या फंसाने की प्रतिरक्षा का खंडन होता है और न ही इससे यह विवक्षित होता है कि

अभि. सा. 2 भोला सिंह के साथ एक अंशकालीन/आकस्मिक प्रास्थिति में कार्य नहीं कर सकता था या भोला सिंह के मकान में नहीं रह रहा था । अत: विचारण न्यायालय द्वारा धारा 313 के अधीन अपीलार्थी की प्रतिरक्षा का इसे मिथ्या या अविश्वसनीय होने का निष्कर्ष निकालने से पूर्व इसका और अधिक गहराई से विश्लेषण किया जाना चाहिए था । अत:, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 366क और 506 के अधीन दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है । (पैरा 21, 22, 23, 24 और 26)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2015]	(2015) 7 एस. सी. सी. 423 : **माणिक तनेजा और एक अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य और एक अन्य** ;	25
[2009]	(2009) 14 एस. सी. सी. 541 : **मुसौद्दीन अहमद** बनाम **असम राज्य** ;	14
[2009]	(2009) 13 एस. सी. सी. 289 : **रीना हजारिका** बनाम **असम राज्य** ;	21
[2001]	(2001) 6 एस. सी. सी. 145 : **तखाजी हिराजी** बनाम **ठाकुर कुबेर सिंह चमनसिंह और अन्य** ;	15
[2001]	(2001) 10 एस. सी. सी. 103 : **एम. अब्बास** बनाम **केरल राज्य** ;	21
[1948]	ए. आई. आर. 1948 पटना 73 : **कामिज शेख** बनाम **एम्परर** ।	25

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 283.

1999 की दांडिक अपील सं. 305-एसबी में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के तारीख 30 नवम्बर, 2011 के निर्णय के विरुद्ध अपील ।

हाजिर होने वाले पक्षकारों की ओर से सर्वश्री दुष्यंत पाराशर, दिनेश पांडेय मनु पाराशर और सुश्री जसप्रीत गोगिया

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने दिया ।

न्या. सूर्य कांत – यह अपील परमिंदर कौर द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के तारीख 30 नवम्बर, 2009 के उस निर्णय को चुनौती देते हुए फाइल की गई है, जिसके द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश, बरनाला द्वारा तारीख 27 फरवरी, 1999 को पारित किए गए निर्णय को दी गई उसकी चुनौती को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे आगे संक्षेप में भारतीय दंड संहिता कहा गया है) की धारा 366क और धारा 506 के अधीन तीन वर्ष के कठोर कारावास और 2000/- रुपए के जुर्माने की उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए नामंजूर कर दिया गया था ।

तथ्य और मामला वृत्तांत

2. अभियोजन का वृत्तांत, जो कि तारीख 24 फरवरी, 1996 को लगभग दोपहर में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में लेखबद्ध किया गया था, यह था कि अपीलार्थी एक एकल महिला है, जो अपने बालक, माता और अपने एक किराएदार के रूप में एक जवान लड़के के साथ अभियोक्त्री[1] के मकान के आस-पड़ोस में रह रही थी । पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से लगभग एक सप्ताह पूर्व, अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को अपने मकान पर बुलाया और अपने किराएदार धनी लड़के के साथ, उससे कपड़े और घुमाने-फिराने के बदले में, अयुक्त मैथुन में आलिप्त होने के लिए उसे विलुब्ध करने की कोशिश की । अपीलार्थी ने अभिकथित रूप से तारीख 19 फरवरी, 1996 को लगभग 6.00 बजे पूर्वाह्न में उसके मकान पर आई अभियोक्त्री को किराएदार लड़के के कमरे में धकेल दिया और कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी । अभियोक्त्री की चिखने की आवाज सुनकर पांच मिनट के पश्चात् जब दरवाजा खोला गया तो उसका पिता हरि सिंह

---

[1] भूपिन्द्र शर्मा **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य (2003) 8 एस. सी. सी. 551 वाले मामले में के विनिश्चयाधार के अनुपालन में अभियोक्त्री/विपदग्रस्त के नाम को विधारित किया गया है ।

(अभि. सा. 2), भान सिंह और करनैल सिंह दरवाजे के बाहर खड़े थे । लड़का तेजी से कमरे से भागा और सफलतापूर्वक बच कर निकल गया । अभियोक्त्री के कमरे से बाहर आने पर उसके पिता ने साथ खड़ी अपीलार्थी से विरोध जताया और अपनी नाराजगी व्यक्त की । अपनी प्रतिष्ठा के भय से अभियोक्त्री और उसका पिता अपने घर लौट आए और अभियोक्त्री की माता के सिवाय किसी को मामले के बारे में नहीं बताया । तथापि, तारीख 24 फरवरी, 1996 को 7.00 बजे पूर्वाह्न में अपीलार्थी ने अपने मकान के बाहर अभियोक्त्री को पकड़ लिया और धमकी दी कि यदि मामले के बारे में किसी व्यक्ति को सूचित किया गया तो उसके भाई को जान से मार दिया जाएगा । अभियोक्त्री अपीलार्थी के शिकंजे से बच निकली और इस उदंडता से चिंतित होकर इन दोनों घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए अपने पिता के साथ पुलिस थाने गई और एक शिकायत दर्ज कराई ।

3. अभियोजन पक्ष ने विचारण के दौरान पांच साक्षियों की परीक्षा की, जिनमें अभियोक्त्री (अभि. सा. 1), उसका पिता (अभि. सा. 2), प्रारूपकार (अभि. सा. 3) जिसने स्थल-नक्शा बनाया था, मुख्याध्यापिका (अभि. सा. 4) जिसने अभियोक्त्री की आयु को साबित किया था और अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 5) सम्मिलित थे । इसके विपरीत, अपीलार्थी ने सभी अभिकथनों से इनकार किया और एक साक्षी, अपने एक पड़ोसी, गुरनैल सिंह (प्रति. सा. 1) की परीक्षा कराई और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे संक्षेप में दंड प्रक्रिया संहिता कहा गया है) की धारा 313 के अधीन अपने कथन में एक आनुकल्पिक बयान दिया और यह दावा किया कि उसके घर में कोई किराएदार नहीं था और शिकायत कुछ और नहीं अपितु भोला सिंह नामक व्यक्ति के उकसावे पर बदला लेने के लिए की गई है, जिसके विरुद्ध उसने कुछ माह पहले बलात्संग के अभिकथन किए थे ।

4. विचारण न्यायालय द्वारा इस आनुकल्पिक बयान को सरसरी तौर पर नामंजूर कर दिया गया और उसने यह निष्कर्ष निकाला कि भोला सिंह की प्रेरणा पर शिकायत करने का अपीलार्थी का दावा असंभाव्य है क्योंकि अप्राप्तवय बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार का विद्वेषपूर्ण अभियोजन तृतीय पक्षकार की प्रेरणा पर चलाना अनधिसंभाव्य

है और यहां तक कि प्रति. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया था कि हरि सिंह सिंचाई विभाग का एक स्थायी कर्मचारी है और वह भोला सिंह का कृंदा (कर्मचारी) नहीं हो सकता था, जैसा की अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया है ।

5. न्यायालय ने प्रति. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत किए गए विद्यालय के अभिलेख का अवलंब लेकर यह मत व्यक्त किया कि अभियोक्त्री सातवीं कक्षा में पढ़ रही थी और उसकी जन्म की तारीख 12 अप्रैल, 1982 है और वह अकाट्य रूप से एक अप्राप्तवय थी । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 366क और 506 के अवयवों या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रत्येक धारा के अलग-अलग संघटक का समाधान किया गया है या नहीं, पर विचार किए बिना अपीलार्थी द्वारा प्रदर्शित की गई प्रतिरक्षाओं को नकारने पर ध्यान केंद्रित किया । विचारण न्यायालय ने पुरुष किराएदार के हुलिए और पूर्ववृत्त और साक्षियों तथा पुलिस द्वारा लड़के को पकड़ने या ढूढ़ने में असमर्थता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर अभियोक्त्री और उसके पिता के परिसाक्ष्यों में आए विरोधाभासों का उत्तर देने के बजाय यह उल्लेख किया कि अभियोक्त्री और उसके पिता को अविश्वसनीय मानने का कोई कारण नहीं है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए पांच दिन के विलंब की इसलिए अनदेखी कर दी गई थी कि अभियोक्त्री और उसके परिवार की प्रतिष्ठा खराब होने के भय से यह विलंब स्वाभाविक था तथा यह बात मामले के लिए कम गंभीर है । इसी प्रकार, अन्य दो स्वतंत्र साक्षियों, भान सिंह और करनैल सिंह की परीक्षा न कराने की बात की इसलिए अनदेखी कर दी गई थी क्योंकि ऐसे मामलों में जहां बलात्संग या हमला न हुआ हो वहां दर्शकों की अरुचि होना सामान्य बात है ।

6. तद्नुसार, विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को अपने पुरुष किराएदार के साथ अयुक्त मैथुन करने के लिए जानबूझकर उत्प्रेरित किया था और उसने अभियोक्त्री के परिवार के सदस्यों की धमकी देकर उसे आपराधिक रूप से अभित्रस्त भी किया था । बड़ी संख्या में उन आश्रितों को देखते हुए जिनका अपीलार्थी एकल महिला होने के नाते सहारा थी और अभियोक्त्री पर कोई हमला या उसके साथ बलात्संग न करने की बात पर विचार करते हुए, अपीलार्थी

को धारा 366क के अधीन तीन वर्ष के कठोर कारावास और 2,000/- रुपए के जुर्माने (या उसके बदले में छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास) तथा धारा 506 के अधीन एक वर्ष के कठोर कारावास और 1,000/- रुपए के जुर्माने (या उसके बदले में तीन माह के अतिरिक्त कठोर कारावास) का समवर्ती रूप से चलने का दंडादेश दिया गया ।

7. अपीलार्थी ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय में समावेदन किया और उसने भी दोषसिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया । उच्च न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए यह मत व्यक्त किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन सोचा-समझा प्रतीत होता है और पक्षकारों के बीच दुश्मनी साबित करने के लिए किसी साक्ष्य के अभाव में यह असंभव था कि कोई एक स्त्री को इस जैसे अपराध में मिथ्या रूप से फंसाएगा । अभियोक्त्री की अप्राप्तवयता को साबित पाया गया और अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य अकाट्य होना और पूर्ण रूप से एक-दूसरे की संपुष्टि करने वाले अभिनिर्धारित किए गए । विचारण न्यायालय के समान ही उच्च न्यायालय ने भी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में हुआ विलंब लैंगिक अपराध के मामलों में परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगे होने के परिणामस्वरूप समझा गया । भान सिंह और हरि सिंह की परीक्षा न कराने के रूप में अन्य विलोपनों और पुरुष किराएदार को पकड़ने या उसकी शनाख्त का पता लगाने में असफलता को महत्वहीन और अतात्विक समझा गया था ।

पक्षकारों की दलीलें

8. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों को हमारे समक्ष सुचारु रूप से चुनौती दी गई और उन्होंने यह दलील दी कि दोनों मुख्य साक्षियों के परिसाक्ष्य तात्विक विरोधाभासों से भरे होने के कारण विश्वसनीय नहीं हैं । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के दर्ज कराने में हुए विलंब और पुरुष किराएदार को पकड़ने या यहां तक कि बाद में उसको ढूंढ़ने का कोई प्रयास न करने से यह दर्शित होता है कि अभियोक्त्री के परिवार द्वारा अंतरस्थ हेतु से यह कहानी गढ़ी गई थी । अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में किए गए प्रत्याख्यान और प्रस्तुत किए गए आनुकल्पिक वृत्तांत तथा ऐसे कानूनी कथन की गहराई से परीक्षा करने या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी रूप से इसे झूठा साबित करने में निचले न्यायालयों की असफलता का भी अवलंब लिया गया । प्रति. सा. 1 के कथन का अवलंब लिया गया, जिसने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान स्वेच्छा से यह कथन किया था कि अभि. सा. 2 उस समय भोला सिंह के स्वामित्व वाले मकान में रह रहा था, जो वह व्यक्ति था जिसके विरुद्ध अपीलार्थी ने बलात्संग का अभिकथन किया था । भोला सिंह के विचारण पर इन कार्रवाइयों के हानिकर प्रभाव और इस आधार पर बाद में हुई उसकी दोषमुक्ति कि परमिंदर कौर (अपीलार्थी) एक संदेहास्पद चरित्र की महिला है जो अप्राप्तवय बालकों के दुर्व्यापार में संलिप्त है, अपीलार्थी के विरुद्ध इस मामले को रजिस्ट्रीकृत करने के पीछे आभासी हेतु को दर्शित करने के लिए उजागर किया गया था ।

9. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने निचले न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों पर जोर देते हुए आक्षेपित निर्णय (निर्णयों) का समर्थन किया । अभि. सा. 2 की प्रतिपरीक्षा का भी अवलंब लिया गया, जिसमें उसने स्वयं अभियोक्त्री द्वारा मिथ्या फंसाए जाने के अभिकथन का खंडन करने के लिए भोला सिंह को जानने की बात से इनकार किया ।

विश्लेषण

I. अतिशयोक्तिपूर्ण सामान्यीकरण और सरसरी विश्लेषण

10. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को विस्तारपूर्वक सुनने के पश्चात् हमने आक्षेपित आदेशों से यह पाया कि निचले न्यायालय इस मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर विचार करने के लिए पर्याप्त प्रयास करने में असफल रहे हैं । बहुत सारे पहलुओं को, जिनके बारे में नीचे चर्चा की गई है, पूर्ण रूप से अनदेखा किया गया है या केवल जल्दबाजी में विचार किया गया है । इसके अतिरिक्त जो तर्क दिया गया है वह सामान्य है और सामान्य बातों पर आधारित है जो सदैव आवश्यक रूप से सत्य नहीं हो सकता है । यह

निर्विवाद है कि माता-पिता सामान्य तौर पर अपने विरोधियों को मात्र मिथ्या रूप से फंसा कर अपनी अप्राप्तवय पुत्री की प्रतिष्ठा को जोखिम में नहीं डालेंगे, किंतु ऐसी सामान्य उक्ति अभियुक्त द्वारा सृजित युक्तियुक्त संदेह और/या ली गई प्रतिरक्षा को खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए ।

11. इसी प्रकार, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में किए गए पांच दिन का विलंब मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में महत्वपूर्ण हो जाता है । क्योंकि विपदग्रस्त का पिता घटना के एक भाग का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । यह मूल्यांकन करना कठिन है कि कोई पिता विधि का आश्रय लेने से पूर्व किसी दूसरी घटना के घटने की प्रतीक्षा करेगा । लैंगिक अपराधों के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्टों के दर्ज करने में विलंब से संबंधित व्यापक धारणाओं से समाज में एक समस्यात्मक संदेश जाता है और अपराधियों द्वारा इसका दुरुपयोग करने के अवसर पैदा होते हैं । इसके बजाय, न्यायालयों द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब के कारण और प्रभाव पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व प्रत्येक अलग-अलग मामले के तथ्यों और अंतर्वलित पक्षकारों के व्यवहार का विश्लेषण किया जाना चाहिए । प्रस्तुत मामले के तथ्यों में, न तो धारा 366क गूढ़ अर्थ में स्वयं एक लैंगिक अपराध है और न ही अभियोक्त्री या उसके पिता की निष्क्रियताओं से अभियोजन पक्ष के वृत्तांत की असलियत पर विश्वास प्रेरित होता है । विपदग्रस्त का चिकित्सीय परीक्षण कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे और न ही दूसरी अभिकथित घटना घटने तक पंचायत या किसी सामाजिक मंच के पास इस समस्या के किसी प्रकार के निवारण के लिए समावेदन किया गया था ।

12. इसके अतिरिक्त, यह समझ से बाहर की बात है कि अभियोक्त्री का पिता और उसके दो पुरुष साथी उस किराएदार लड़के को रोकने में असफल रहे थे जो अभिकथित रूप से अप्राप्तवय विपदग्रस्त के साथ एक लैंगिक अपराध करने वाला था और न ही उन्होंने बाद में उसके विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज कराने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया था । आश्चर्यचकित रूप से, अभियोजन पक्ष घटनास्थल से उस लड़के के इस प्रकार गायब हो जाने के बारे में मौन रहा है । इसके अतिरिक्त,

अभियोक्त्री के पिता ने स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करने और पुलिस प्राधिकारियों के पास जाने की बजाय उस समय घटनास्थल पर अपीलार्थी को केवल अपना विरोध जताया था जब उसने अपनी पुत्री के संभाव्य दुर्व्यापार की बात का सामना किया था । उसके विरुद्ध विलंबित रूप से कार्यवाही करने के आचरण से अभियोजन के पक्षकथन के विरुद्ध प्रच्छन्न संदेह सृजित होता है और यह निष्कर्ष निकालना पूर्ण रूप से अनधिसंभाव्य नहीं हो सकता है कि भोला सिंह की प्रेरणा पर बलात्संग की शिकार इस निर्बल महिला को मिथ्या रूप से फंसाने के लिए एक विद्वेषपूर्ण प्रयत्न था ।

II. घटिया अन्वेषण और अभियोजन

13. अपीलार्थी की दोषिता को सिद्ध करने के लिए या तो अन्वेषण अभिकरण या अभियोजक की ओर से गंभीर प्रयास की कमी मूल अभिलेख से स्पष्ट होती है । अभियोक्त्री और उसके पिता द्वारा शिकायत दर्ज करने की पहल को छोड़कर पुलिस द्वारा कोई सारवान् साक्ष्य एकत्रित नहीं किया गया था । इस बात के बावजूद कि पुरुष किराएदार अभिकथित रूप से कई माह से अपीलार्थी के पास रह रहा था, पुलिस उसके पूर्ववृत्त या अवस्थान की बात तो छोड़िए, उसके नाम तक का पता लगाने में असमर्थ रही । इसके अतिरिक्त, पहली बात तो यह कि प्रति. सा. 1 के साक्ष्य से उस लड़के के विद्यमान होने की बात पर प्रभावपूर्ण संदेह होता है । यह बात इस तथ्य से और अधिक पुष्ट हो जाती है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने लड़के की आयु, पहनावे और उसके ठोर-ठिकाने के बारे में भिन्न-भिन्न कथन किए थे यदि लड़का वास्तव में किराएदार था और महीनों तक वहां रहा था, तो यह बात अत्यंत संदेहात्मक है कि उसका पता नहीं लगाया जा सका था ।

14. अभि. सा. 3 द्वारा तैयार किए गए स्थल नक्शे में भी स्पष्ट चूक की गई है । भान सिंह के मकान की अवस्थिति और जहां अपीलार्थी ने अभिकथित रूप से तारीख 24 फरवरी, 1996 को अभियोक्त्री को धमकी दी थी, वह स्थान चिन्हित तक नहीं हैं । जिन पत्रों का अभियोक्त्री ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया था और वह पुलिस शिकायत जो अपीलार्थी ने उससे लिखवाई थी, विचारण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए थे । ये घटना से पूर्व अभियुक्त, अभियोक्त्री और

पुरुष किराएदार के बीच संबंध पर प्रकाश डाल सकते थे । अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह अपने कब्जे में के सर्वोत्तम साक्ष्य को पेश करे और ऐसा करने में असफल रहने पर एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना चाहिए (**मुसौद्दीन अहमद** बनाम **असम राज्य**[1] वाला मामला देखें) ।

15. अभियोजन पक्ष के वृत्तांत में खामी को देखते हुए, भान सिंह और करनैल सिंह की परीक्षा न कराना भी एक सुस्पष्ट चूक है । यह प्रतीत होता है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्यों में आए विराधाभासों का निराकरण करने के लिए उनकी परीक्षा कराने का कोई गंभीर प्रयत्न नहीं किया गया था । तात्विक स्वतंत्र साक्षियों की ऐसी परीक्षा न कराने से अभियोजन के पक्षकथन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । **तखाजी हिराजी** बनाम **ठाकुर कुबेर सिंह चमनसिंह और अन्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था :–

> "19. .....यह सही है कि यदि ऐसे तात्विक साक्षी की, जो यद्यपि उपलब्ध था और उसकी परीक्षा नहीं कराई जाती है और जो घटना की उत्पत्ति या अभियोजन के पक्षकथन के महत्वपूर्ण भाग को उजागर करता, जो अन्यथा विश्वासोत्पादक रूप से सामने नहीं आता, या जहां अभियोजन के पक्षकथन में ऐसी खामी या कमी है जो उस साक्षी की परीक्षा करके पूरी या ठीक की जा सकती थी, वहां अभियोजन के पक्षकथन को ऐसी कमी से ग्रसित और ऐसे तात्विक साक्षी को विधारित करना कहा जा सकता है और न्यायालय अभियोजन पक्ष के विरुद्ध यह अभिनिर्धारित करते हुए एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए आबद्ध होगा कि यदि उस साक्षी की परीक्षा की गई होती तो उसने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया होता.....।"

III. परस्पर विरोधी परिसाक्ष्यों का पूर्णत: गलत मूल्यांकन

16. सामान्यत:, उच्चतम न्यायालय को साक्ष्य का पूर्नमूल्यांकन

---

[1] (2009) 14 एस. सी. सी. 541.

[2] (2001) 6 एस. सी. सी. 145.

नहीं करना चाहिए । तथापि, जहां निचले न्यायालयों ने अभिलेख पर की सामग्री पर एक ऐसी लापरवाह या यांत्रिक रीति में विचार किया हो जिससे घोर अन्याय होना संभाव्य है, तब यह न्यायालय ऐसी आपवादिक परिस्थितियों में न्याय करने के लिए न्यायसम्मत रूप से साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है । इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसा पुनर्निधारण नित्यचर्या रूप से नहीं किया जाना चाहिए और निचले न्यायालयों द्वारा अपनाए गए अन्यथा युक्तियुक्त दृष्टिकोण का प्रतिस्थापन नहीं बनना चाहिए ।

17. विचारण न्यायालय ने प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से उजागर किए गए विराधाभासों की सरसरी तौर पर इस आधार पर अनदेखी कर दी थी कि ऐसे विरोधाभासों का कोई तात्विक सरोकार नहीं है और अभियोक्त्री पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । उच्च न्यायालय ने भी यह राय व्यक्त की कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने एक-दूसरे की पूर्ण रूप से संपुष्टि की है और उनके परिसाक्ष्य त्रुटिहीन हैं । हमारी सुविचारित राय में, ये कारण न केवल अभिलेख के प्रतिकूल हैं अपितु दांडिक विचारणों में अधिरोपित अनुज्ञेय विपर्यस्त सबूत के भार के भी प्रतिकूल हैं । इन दोनों मुख्य साक्षियों के परिसाक्ष्यों के बीच अनेक स्पष्ट विरोधाभास हैं जिन्हें हम अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक पाते हैं ।

18. पहली बात, अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि जब बाहर से दरवाजा खोला गया था, तब बाहर केवल उसका पिता (अभि. सा. 2) और भान सिंह मौजूद थे । तथापि, इस बात का खंडन उसके द्वारा पुलिस शिकायत में दी गई सूचना और उसके पिता (अभि. सा. 2) के परिसाक्ष्य से होता है जिसने यह कथन किया था कि इसके अतिरिक्त एक तीसरा व्यक्ति करनैल सिंह भी वहां मौजूद था । दूसरी बात, अभियोक्त्री द्वारा पुरुष किराएदार का जो हुलिया बताया गया था वह उसके पिता द्वारा दिए गए विवरण से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न था । अभि. सा. 1 ने उसकी आयु लगभग 26 वर्ष आक्कलित की थी और वह पैंट-कमीज पहने हुए था, जबकि अभि. सा. 2 का विश्वास था कि लड़के की आयु 18-19 वर्ष थी और एक बनियान, अंडरवियर और मैली-सी कमीज पहने हुए था । तीसरी बात, इस अज्ञात नाम के लड़के के

पूर्ववृत्त के बारे में अभियोक्त्री ने यह कथन किया था कि वह अपीलार्थी के साथ एक वर्ष से रह रहा था, जबकि उसके पिता के अनुसार वह केवल 2-3 माह से रह रहा था और यह अवधि तात्विक रूप से कम थी । चौथी बात, अभियोक्त्री ने यह दावा किया था कि जब वह किराएदार बचकर कमरे से भाग रहा था तो उसके पिता और भान सिंह ने उसे पकड़ने का प्रयत्न किया था किंतु असफल रहे थे, जबकि अभि. सा. 2 ने स्वयं यह कथन किया था कि वह असमंजस में था कि भागे या शोर मचाए । पांचवी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित करने के प्रश्न पर अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 5 सभी के परिसाक्ष्य सुस्पष्ट रूप से भिन्न हैं । अभि. सा. 1 ने यह दावा किया था कि अभि. सा. 5 द्वारा शिकायत तब लेखबद्ध की गई थी जब वह "पत्थर" पर बैठा हुआ था, जबकि अभि. सा. 2 का यह दावा था कि अभि. सा. 5 द्वारा शिकायत दो अन्य पुलिस पदधारियों की मौजूदगी में तब लेखबद्ध की गई थी जब वह बस स्टैंड की प्रतीक्षालय में "सीमेंट के बेंच" पर बैठा हुआ था । अति दिलचस्प बात यह है कि अभि. सा. 5 ने यह दावा करते हुए पूर्ण रूप से एक तीसरा वृत्तांत दिया कि वह पांच अन्य पुलिस पदधारियों के साथ बस स्टैंड पर मौजूद था और कथन अभि. सा. 5 द्वारा नहीं अपितु एक अन्य सहायक उप निरीक्षक द्वारा लिखा गया था जिसने, जब वह खड़ा था, कागजों को जीप के बोनट पर रखा था ।

19. इन विसंगतियों, जिनसे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए घटनाओं के वृत्तांत पर एक गंभीर संदेह पैदा होता है, के अतिरिक्त अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के बयान सरसरी हैं और ब्योरेवार नहीं हैं । जब लड़की कमरे के अंदर बंद थी तब उन निणार्यक पांच मिनटों में क्या घटित हुआ था या पुरुष किराएदार ने कैसे प्रतिक्रिया की थी, इनके सहित वृत्तांत की महत्वपूर्ण कड़ियां गायब हैं ।

20. इसी प्रकार, कहानी की अन्य कड़ियां पूरी तरह से विसंगत हैं और एक-दूसरे के अनुरूप नहीं हैं । अभि. सा. 2 ने घटना के प्रारम्भिक भाग के दौरान घर पर न होने और इसके बजाय भान सिंह के मकान के बाहर होने की बात स्वीकार की थी, जो अभियोक्त्री के कथन के अनुसार अपराध-स्थल से 10 मिनट की दूरी पर था । इस प्रकार, यह असंभाव्य

है कि अभि. सा. 2 ने इतनी दूर से अभियोक्त्री की चीख-पुकार सुनी होगी या पांच मिनट से कम समय में, जैसा की अभि. सा. द्वारा दावा किया गया था, इतनी पर्याप्त दूरी तय की होगी । इस प्रकार, अभियोजन के वृत्तांत में पारस्परिक विरोधाभास हैं ।

III. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कथन का खंडन करने में असफलता

21. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन अभियोजन पक्ष द्वारा अपने साक्ष्य को पूरा करने और अपने सभी साक्षियों की परीक्षा किए जाने के पश्चात् अभियुक्त को धारा 313(1)(ख) के द्वारा स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाता है । अभियुक्त द्वारा दिए गए घटनाओं के किसी आनुकल्पिक वृत्तांत या निर्वचन का विचारण न्यायालय द्वारा धारा 314(4) की आज्ञा का अनुपालन करते हुए अवश्य ही सावधानीपूर्वक विश्लेषण और विचार किया जाना चाहिए । ऐसा अवसर न्याय की ईप्सा करने और स्वयं की प्रतिरक्षा करने का अभियुक्त का एक मूल्यवान अधिकार है । उचित रूप से अपने मस्तिष्क का प्रयोग करने और प्रतिरक्षा पर विचार करने में विचारण न्यायालय की असफलता से स्वयं दोषसिद्धि जोखिम में पड़ सकती है (**रीना हजारिका** बनाम **असम राज्य**[1] वाला मामला देखें) । अभियोजन पक्ष, जिसे अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने की आवश्यकता होती है, के विपरीत अभियुक्त को मात्र युक्तियुक्त संदेह सृजित करने या मात्र अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता द्वारा अपने आनुकल्पिक वृत्तांत को साबित करने की आवश्यकता होती है (**एम. अब्बास** बनाम **केरल राज्य**[2] वाला मामला देखें) । इस प्रकार, जब सिविल प्रक्रिया संहिता 313 के प्रक्रम पर प्रतिरक्षा में एक सत्यभासी वृत्तांत प्रस्तुत किया गया हो, तब अभियोजन पक्ष को प्रतिरक्षा पक्ष के ऐसे अभिवाक् को अस्वीकार करना होता है ।

22. प्रस्तुत मामले में, अपीलार्थी द्वारा दिए गए आनुकल्पिक वृत्तांत को हल्के में अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । उसकी स्पष्ट

---

[1] (2009) 13 एस. सी. सी. 289.

[2] (2001) 10 एस. सी. सी. 103.

और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत की गई दो भाग में पहली प्रतिरक्षा यह थी कि कोई पुरुष किराएदार था ही नहीं और उसके बालक और माता के सिवाय कोई उसके साथ नहीं रहता था और दूसरी यह कि उसे भोला सिंह नामक व्यक्ति, जिसके साथ अभियोक्त्री का पिता काम करता था, के विरुद्ध एक बलात्संग की शिकायत फाइल करने के लिए प्रतिशोध के रूप में मिथ्या रूप से फंसाया जा रहा था ।

23. यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा वर्तमान घटना से लगभग सात माह पूर्व भोला सिंह के विरुद्ध वास्तव में बलात्संग की एक शिकायत की गई थी । उसने पुलिस के पास बलात्संग की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में न केवल कठिनाई झेलनी पड़ी थी, अपितु इस तृतीय पक्षकार के विरुद्ध मामले में अभियोग चलाने के लिए उसे एक प्राइवेट शिकायत फाइल करने का भी कष्ट उठाना पड़ा था । वास्तव में, इन कार्यवाहियों का प्रभाव अपीलार्थी की प्रतिरक्षा के अनुरूप था क्योंकि उस बलात्संग के विचारण में विचारण न्यायालय ने उसके चरित्र के विरुद्ध (उसे बालकों का दुर्व्यपार करने वाली कहते हुए) एक घृणित मताभिव्यक्ति की थी ।

24. अंतिमत:, प्रति. सा. 1, जो पक्षकारों के आस-पड़ोस में रहता था, ने अपीलार्थी के इस दावे का समर्थन किया था कि उसके घर में कोई पुरुष किराएदार नहीं था और भोला सिंह तथा अभियोक्त्री के पिता के बीच पर्याप्त रूप से युक्तियुक्त संबंध स्वेच्छा से यह कहते हुए सृजित किया था कि अभि. सा. 2 भोला सिंह के परिसर में रह रहा था । प्रति. सा. 1 द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान की गई मात्र इस स्वीकारोक्ति का अवलंब लेने से कि अभि. सा. 2 एक सरकारी कर्मचारी था, न तो मिथ्या फंसाने की प्रतिरक्षा का खंडन होता है और न ही इससे यह विवक्षित होता है कि अभि. सा. 2 भोला सिंह के साथ एक अंशकालीन/आकस्मिक प्रास्थिति में कार्य नहीं कर सकता था या भोला सिंह के मकान में नहीं रह रहा था । अत: विचारण न्यायालय द्वारा धारा 313 के अधीन अपीलार्थी की प्रतिरक्षा का इसे मिथ्या या अविश्वसनीय होने का निष्कर्ष निकालने से पूर्व इसका और अधिक गहराई से विश्लेषण किया जाना चाहिए था ।

IV. आपराधिक अभित्रास का आरोप

25. चेतावनी देने या कोई कृत्य करने के लिए बाध्य करने/प्रविरत रहने के अपीलार्थी के आशय को साबित करना, न कि मात्र शब्दों का बोलना, भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अधीन सफल दोषसिद्धि की पूर्व-अपेक्षा है (**माणिक तनेजा और एक अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य और एक अन्य**[1] वाला मामला देखें) । अत: विचारण न्यायालय ने आपराधिक अभित्रास के लिए दोषसिद्धि को प्रश्नगत करने के लिए इस विषय पर ऐसा कोई अलग विश्लेषण नहीं किया था या कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया था । इसके अतिरिक्त, इस आरोप की प्रकृति ऐसी है कि यह आरोप 'अप्राप्तवय लड़कियों की दलाली' के मुख्य आरोप से उत्पन्न हुआ है । इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जहां दोनों आरोपों पर अभि. सा. 1 के सामान्य परिसाक्ष्य पर संदेह किया गया है, अपीलार्थी को आपराधिक अभित्रास के लिए इस एकमात्र साक्ष्य के रूप में किसी अन्य संपुष्टि के बिना दोषसिद्ध करने के लिए इसका अवलंब लेना बुद्धिमानी नहीं होगी (**कामिज शेख** बनाम **एम्परर**[2] वाला मामला देखें) ।

निष्कर्ष

26. अत: हमारी यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 366क और 506 के अधीन दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है । इस प्रकार, पूर्वोक्त कारणों से यह अपील मंजूर की जाती है और निचले न्यायालयों द्वारा अधिनिर्णीत दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं । अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाता है और परिणामस्वरूप रिहा किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

---

[1] (2015) 7 एस. सी. सी. 423.

[2] ए. आई. आर. 1948 पटना 73.